भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3897

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

करौली और धौलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थिति

3897. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण, निर्माणाधीन और निर्माण किए जाने वाले मकानों का राज्य-वार ब्यौरा तथा संख्या क्या है;

(ख) उन लाभार्थियों की कुल संख्या क्या है और ब्यौरा क्या है जिन्हें समय पर किस्तें प्राप्त नहीं हुई हैं और यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) सभी स्वीकृत मकानों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है;

(घ) क्या विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का करौली और धौलपुर जिलों में जांच करने के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) आज की स्थिति के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई-जी के तहत 4.18 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी तुलना में 3.92 करोड़ आवासो की स्वीकृति दी गई है, 3.13 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और आवंटित लक्ष्यों की तुलना में 1.05 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा होना शेष है। स्वीकृत, निर्मित, निर्माण के लिए शेष तथा अभी तक निर्मित आवासों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-

वारविवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत, मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक इकाई मानते हुए उनकी वार्षिक वित्तीय आवंटन के आधार पर सीधे निधियों का केंद्रीय अंश जारी करता है। दिनांक 06.08.2026 तक उन लाभार्थियों की संख्या, जिसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त जारी कर दी गई है, का विवरण इस प्रकार है:

मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्यों द्वारा स्वीकृत आवास	राज्यों द्वारा जारी की गई पहली किस्त	राज्यों द्वारा जारी दूसरी किस्त	राज्यों द्वारा जारी तीसरी किस्त
4,17,83,017	3,91,51,320	3,73,40,805	3,43,33,727	3,15,35,942

पीएमएवाई-जी एक केंद्र प्रायोजित योजना होने के कारण, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर प्राथमिक कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं। पीएमएवाई-जी के तहत, इकाई सहायता लाभार्थियों को आवास निर्माण के चरणों से जुड़े किश्त के रूप में भुगतान की जाती है। निर्माण पूरा होने में देरी के कुछ कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों की अनिच्छा, स्थायी प्रवासन, मृतक लाभार्थियों की विवादित उत्तराधिकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी, राज्य आईएफएमआईएस से क्रेडिट पुष्टीकरण के अद्यतन में देरी और कभी-कभी समान्य/विधान सभा/पंचायत चुनाव और निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता शामिल है।

(ग) अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-जी के चरण-II के लिए अनुमोदित अवधि मार्च 2029 है।

(घ) और(ङ) पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा (एफएफआई) के अनुसार, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं, यदि कोई हो, के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है, जिसे प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए शिकायतों का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर नामित राज्य सरकार का एक अधिकारी नियुक्त है। अधिकारी शिकायत/शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत/शिकायत का निपटान करने के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, जनता द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीग्राम) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीजीग्राम के माध्यम से या अन्यथा प्राप्त शिकायतों को शिकायत के निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजा जाता है। इसके अलावा, कई राज्यों में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और सीएम हेल्पलाइन सहित शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधान भी है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के तहत निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निर्माण से जुड़े किश्तों में आधार आधारित भुगतान तंत्र/प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते/डाकघर खाते में सहायता प्रदान की जाती है। आवास निर्माण के हर निश्चित चरण में, लाभार्थी के साथ घर की जियो-रिफरेंस्ड और टाइम स्टैम्पड तस्वीर ली जाती है।

अनुबंध।

पीएमएवाई-जी के तहत संचयी प्रगति राज्य-वार:

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य	स्वीकृति	निर्मित	लक्ष्य की तुलना में शेष
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591	346
2	असम	29,62,945	29,08,853	23,22,861	6,40,084
3	बिहार	50,12,752	49,09,826	42,13,798	7,98,954
4	छत्तीसगढ़	26,42,224	24,52,164	20,36,053	6,06,171
5	गोवा	257	254	243	14
6	गुजरात	8,39,116	8,29,456	7,20,825	1,18,291
7	हरियाणा	1,06,460	76,478	41,272	65,188
8	हिमाचल प्रदेश	1,08,389	1,03,086	69,654	38,735
9	जम्मू और कश्मीर	3,41,644	3,35,356	3,26,860	14,784
10	झारखंड	20,12,107	19,37,924	16,44,005	3,68,102
11	केरल	1,13,404	86,574	42,016	71,388
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	54,18,902	43,78,374	8,96,198
13	महाराष्ट्र	43,80,522	41,38,879	20,78,010	23,02,512
14	मणिपुर	1,13,550	1,07,048	56,934	56,616
15	मेघालय	1,88,034	1,84,295	1,59,879	28,155

16	मिजोरम	29,967	29,959	25,441	4,526
17	नागालैंड	48,830	48,727	38,168	10,662
18	ओडिशा	28,28,739	28,06,651	25,50,610	2,78,130
19	पंजाब	1,13,911	1,04,723	55,626	58,285
20	राजस्थान	24,93,546	24,32,039	20,44,477	4,49,096
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393	6
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,34,017	6,72,770	2,85,055
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,173	3,73,941	2,972
24	उत्तर प्रदेश	42,77,493	36,55,811	36,43,036	6,34,457
25	उत्तराखंड	69,755	68,936	68,243	1,512
26	पश्चिम बंगाल	46,69,423	45,69,031	34,20,433	12,48,990
27	अंडमान और निकोबार	3,424	2,591	1,512	1,912
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	11,364	11,695	6,977	4,387
29	लक्षद्वीप	45	53	45	0
30	आंध्र प्रदेश	3,21,326	2,46,929	90,601	2,30,725
31	कर्नाटक	9,44,140	5,70,878	1,73,467	7,70,676
32	लद्दाख	3,004	3,004	3,004	0
	कुल	**4,17,83,017**	**3,91,51,320**	**3,12,95,391**	**1,04,87,626**